धन कर बकाया है तथा इस बकाया कर की राशि कितनी है ;

(ख) उनसे बकाया कर अभी तक वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बकाया करों की इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राजस्थान में जिन व्यक्तियों की तरफ 31-3-1971 को आयकर, सम्पदा-शुल्क यथा धन-कर की बकाया रकम वसूली के लिए पड़ी थी उनकी संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है । इस सूचना को एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा । यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट निर्धारिती के सम्बन्ध में सूचना चाहते हों तो वह पेश की जा सकती है ।

राजस्थान कार्य-क्षेत्र में 31-3-1971 को वसूली के लिए बकाया पड़ी आयकर की शुद्ध रकम 3.77 करोड़ रुपये थी । धन-कर और सम्पदा-शुल्क की बकाया के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त बकाया मांग में काफी बड़े अंश में निम्नलिखित किस्म की मांगे शामिल थीं जिनकी वसूली अपरिहार्य रूप से स्थगित रही :—

(I) ऐसी मागें जिनमें निर्धारिती ने आय-कर अधिकारी/अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त/अपीलीय न्याया-धिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील/सन्दर्भ याचिकाएं दायर कर दी हैं और वे विवादग्रस्त मांग की अदायगी नहीं कर रहे हैं ।

(II) ऐसी मांगें जहां वसूली की कार्यवाही उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों द्वारा स्थापित कर दी गई हैं ।

(III) ऐसे व्यक्तियों की तरफ बकाया मांगें जिन्होंने भारत छोड़ दिया है और/अथवा जिनका पता नहीं चलता है ।

(IV) ऐसे व्यक्तियों की तरफ बकाया मांगें जिनकी इस समय परिसम्पत्तियां कुछ भी नहीं हैं/अपर्याप्त हैं ।

(V) ऐसी कम्पनियों की तरफ बकाया मांगें जिनका परिसमापन हो गया है ।

(VI) ऐसी मांगें जिनकी वसूली इस कारण से रुक गई है कि संरक्षणात्मक उपाय के रूप में एक ही आय पर एक से अधिक निर्धारितियों की आय में शामिल करके कर लगाया गया हो ।

(VII) ऐसी मांगें जिनकी वसूली इस कारण रुकी पड़ी हैं कि निर्धारिती का दोहरे आयकर-राहत के दावे का सत्यापन किया जाना है ।

शेष मांग की सामान्य रूप में वसूली हो रही है और कानून-सम्मत सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

पोस्त के छिलकों का निर्यात

*594. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पोस्त के छिलकों' का विदेशों को बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो देश में कृषकों द्वारा इसे किस मूल्य पर बेचा जाता है तथा इसका निर्यात मूल्य क्या है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इस पर लगायी जाने वाली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दर क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पोस्त की भूसी का बड़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात नहीं किया जाता है। विदेशों को निर्यात की गई पोस्त की भूसी की मात्रा 1968 में 14 टन, 1969 में 27 टन तथा 1970 में 32 टन थी।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसान पोस्त की भूसी को लगभग 6 रुपये से 10 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर बेचते हैं। विदेशों में बिक्री के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध नहीं है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) पोस्त की भूसी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता है। लेकिन राज्य सरकारें आबकारी शुल्क लगाती हैं जिसकी दरें प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। पोस्त उगाने वाले राज्यों में पोस्त की भूसी पर लगाये जाने वाले आबकारी शुल्क की दरें इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	शुल्क की दर प्रति किलोग्राम
1. मध्य प्रदेश	
(क) राज्य से बाहर निर्यात की जाने वाली पोस्त की भूसी के लिए	रु० .50
(ख) ऊपर (क) के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए पोस्त की भूसी की बिक्री पर	रु० 1.00
2. राजस्थान	
(क) राज्य से बाहर निर्यात की जाने वाली पोस्त की भूसी के लिए	रु० 0.25
(ख) ऊपर (क) के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए पोस्त की भूसी की बिक्री पर	रु० 1.00
3. उत्तर प्रदेश	
(क) राज्य से बाहर निर्यात की जाने वाली पोस्त की भूसी के लिए	रु० 0.25
(ख) ऊपर (क) के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए पोस्त की भूसी की बिक्री पर	रु० 0.50

Increase in Aircraft to Meet Increasing Requirements

*595. SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the extent of growth of air travel in India during the last three years ; and

(b) the extent of increase in aircraft to meet the increasing requirements during the same period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI) : (a) The number of passengers carried during the last three years, which is reflective of *the growth of air travel in India*, is as follows :—

Year.	No. of passengers.	Percentage variation over the previous year.
1968-69	1,959,417	+ 18.2
1969-70	2,248,177	+ 14.7
1970-71	2,125,357	— 5.5